प्रेस नोट

दिनांक 08.10.2026

थाना हलधरपुर- जनपद मऊ।

01 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा तथा अपहृत नाबालिग बालिका सकुशल बरामद-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी मधुबन श्री दिनेश दत्त के नेतृत्व में दिनांक 07.10.2026 को थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व पतारसी सुरागरसी के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर ग्राम सेहबाजपुर (थाना बरेसर, गाजीपुर) में दबिश देकर मु0अ0स0 मु0अ0सं0 213/26 धारा 87, 137(2) बीएनएस से संबंधित वाछिंत बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया तथा नाबालिक अपहृता को सकुशल बरामद किया गया

घटना का विवरण:

दिनांक 06.10.2026 को वादी मुकदमा बबलू राजभर पुत्र मोहन राजभर, निवासी मौजा मुबारकपुर, थाना हलधरपुर, जनपद मऊ द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दी गई कि उनकी 15 वर्षीया नाबालिग पुत्री को उसका साथी अपने दोस्त के साथ मिलकर बहला-फुसलाकर मोटरसाइकिल से कहीं भगा ले गया है। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना हलधरपुर पर **मु0अ0सं0 213/26 धारा 87, 137(2) बीएनएस** के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

पंजीकृत अभियोंग-

1. **मु0अ0सं0 213/26 धारा 87, 137(2) बीएनएस**

गिरफ्तारी का स्थान व समय-

1. ग्राम सेहबाजपुर (थाना बरेसर, गाजीपुर, **दिनांक** 07.10.2026, समय 16:10

जनपद मऊ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में दिनांक- 08.10.2026 को जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में विभिन्न थानो द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए अलग- अलग स्थानों से अभियुक्तों की गिरफ्तारी /बरामदगी व विभिन्न मामलों में वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

थानावार कार्यवाही का विवरण

1. थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तगण मुनखुन पुत्र अखड़ू व हरीचन्द्र पुत्र धनेश्वर चौहान निवासी मालो पिटोखर थाना मुहम्मदाबाद मऊ।

2. थाना कोतवाली पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त अफसर पुत्र अख्तर हुसैन निवासी मुंशीपुरा थाना कोतवाली नगर अभियुक्तगण उपरोक्त को गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में दिनांक- 08.10.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/ वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया

इस अभियान के अंतर्गत 26 टीम गठित कर जनपद के 30 स्थानों पर बदल बदलकर लगभग 1250 सदिग्ध वाहनो/व्यक्तियो को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 252 वाहनों को एमवी एक्ट के अन्तर्गत चालान व 01 वाहन को सीज किया गया साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी। यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील किया गया है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें एवं गलत स्थानों पर पार्किंग नही करे तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।

दहेज हत्या से संबंधित 01 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी घोसी श्री सतेन्द्र भूषण तिवारी के नेतृत्व में दिनांक 08.10.2026 को थाना कोपागंज पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर काछीकला से मु0अ0स0 281/26 धारा 85, 80(2) बीएनएस व ¾ डीपी एक्ट थाना कोपागंज से संबंधित अभियुक्तगण 1. रामधन चौहान पुत्र स्व0 बहादुर चौहान 2. राजकुमारी चौहान पत्नी रामधन चौहान निवासीगण काछीकला थाना कोपागंज जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

अभियुक्तगण का विवरण-

1. रामधन चौहान पुत्र स्व0 बहादुर चौहान
2. राजकुमारी चौहान पत्नी रामधन चौहान निवासीगण काछीकला थाना कोपागंज जनपद मऊ

पंजीकृत अभियोंग-

1. मु0अ0स0 281/26 धारा 85, 80(2) बीएनएस व ¾ डीपी एक्ट थाना कोपागंज

जनपद मऊ साइबर पुलिस टीम द्वारा पीड़ित का फ्रॉड हुआ कुल धनराशि- 19348/- (उन्नीस हजार तीन सौ अड़तालीस) पीडित को वापस कराया गया

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के कुशल निर्देशन में साइबर फ्राड रोकथाम व जागरुकता के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारीगण के कुशल नेतृत्व में थाना घोसी साइबर पुलिस टीम द्वारा दिनांक- 08.10.2026 को पीड़ित / आवेदक अशोक कुमार पुत्र रमाशंकर निवासी कस्बा खास थाना घोसी जनपद मऊ के मोबाइल हैक करके खाते से यूपीआई के माध्यम से फ्राड की गयी कुल धनराशि- 10,000/- (दस हजार रुपया) MRM PORTAL के माध्यम से थाना घोसी साइबर पुलिस टीम जनपद मऊ द्वारा वापस कराया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार की ऑनलाइन ठगी, अज्ञात लिंक, फर्जी कॉल, केवाईसी अपडेट, निवेश, लोन, पार्ट टाइम जॉब अथवा OTP साझा करने से सावधान रहें। साइबर ठगी होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं।